दिनांक 16.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 17/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस माडर्न स्कूल को 09 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदीय पुलिस लाइन्स एवं पीएसी वाहिनियों में स्थापित पुलिस माडर्न स्कूलों के बुनियादी ढांचें व शिक्षा की गुणवत्ता में और बढ़ोत्तरी के साथ–साथ अध्यापन सम्बन्धी मूलभूत संसाधनों को उपलब्ध कराने पर विशेष बल देते हुये समीक्षा कर अग्रेतर कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

आज दिनॉकः 16.05.2023 को डा0 आर0के0 विश्वकर्मा, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को श्री प्रकाश डी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लिमिटेड के द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व समिति (CSR) मद के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस मार्डन स्कूल हेतु 09 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, प्रोजेक्ट मैनेजर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा थानों के माल मुकदमाती एवं लावारिस वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 16.05.2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में थानों के माल मुकदमाती एवं लावारिस वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा थाने पर लम्बित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु **ऑपरेशन क्लीन** के सम्बन्ध में अपना प्रस्तुतीकरण किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा थानों पर लम्बित माल मुकदमाती व लावारिस वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में सीआरपीसी की धारा 457, 458 व 459 में निहित प्राविधानों के तहत मा0 न्यायालय के निर्देशों के क्रम में नियमानुसार विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त के सम्बन्ध में अभियान चलाकर लम्बित माल मुकदमाती व लावारिस वाहनों के निस्तारण की कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट व सम्बन्धित प्रशासनिक मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर उनका विधिक निस्तारण कराया जाये।

जनपद हापुड़/थाना गढमुक्तेश्वर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 15.05.2023 की रात्रि थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ब्रजघाट रेलवे स्टेशन के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त लवकुश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लवकुश निवासी करनपुर खादर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।

जनपद इटावा/थाना बकेवर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 15.05.2023 को थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना नहर पुल लखना के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अखिलेश उर्फ तुन्नी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बकेवर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अखिलेश उर्फ तुन्नी निवासी सिसहाट थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल**
- **भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 16.05.2023 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोल चक्कर से ओमीक्रान–1 की तरफ जाने वाले रास्ते से 02 बाल आपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।बाल आपचारी की निशादेही से अभियुक्त पुलकित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल, भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पुलकित निवासी बराल थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल।

2–भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पुर्जे आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना तरयासुजान

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनॉकः 16.05.2023 को थाना तरयासुजान, थाना खड्डा, थाना पडरौना, थाना जटहा बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर

बहादुरपुर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शेरू उर्फ हसनात अली 2–मुसर्रफ घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना तरयासजान पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शेरू उर्फ हसनात अली निवासी बसहिया बनबीरपुर थाना पडरौना, जनपद कुशीनगर।

2–मुसर्रफ निवासी बसहिया बनबीरपुर थाना पडरौना, जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना कोतवाली

- **लगभग 04 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 04 किलो 500 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम**
- **2290/–रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड बरामद**

दिनॉकः 15.05.2023 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरेला मोड से कांट जाने वाल रास्ते पर 02 अभियुक्तों 1–अमलेश 2–जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलो 500 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम, 2290/–रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमलेश निवासी ग्राम रामपुर थाना लावालौग जनपद चतरा, झारखण्ड।

2–जितेन्द्र निवासी ग्राम रिमी टोला हेठ दोहर थाना लावालौग जनपद चतरा, झारखण्ड।

बरामदगी

1–लगभग 04 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 04 किलो 500 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम।

2–2290/–रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड।

जनपद सोनभद्र/थाना करमा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 65 लाख रूपये कीमत के 698 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 डीसीएम कंटेनर वाहन बरामद**

दिनॉकः 16.05.2023 को थाना करमा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम केकराही से अभियुक्त अकबर अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 65 लाख रूपये कीमत के 698 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 डीसीएम कंटेनर वाहन बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना करमा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अकबर अली निवासी ग्राम रैपुरा थाना सरैया जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 65 लाख रूपये कीमत के 698 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 डीसीएम कंटेनर वाहन।

- **<u>जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी–2 जनपद बागपत द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दिनेश को आजीवन कारावास व 01 लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कम्पनियॉ बनाकर विभिन्न बैंकों से ठगी करके विभिन्न प्रकार के 23 करोड़ के लोन लेकर गायब हो जाने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश, 08 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

दिनांक 15–05–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को कूटरचित दस्तावेजों (डी0एल0, पैन कार्ड आदि) के आधार पर फर्जी कम्पनियॉ बनाकर बैंकों से ठगी करके विभिन्न प्रकार के लोन (कार लोन, होम लोन इत्यादि) प्राप्त कर गायब हो जाने वाले संगठित गिरोह का भण्ड़ाफोड़ कर 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–</u>

1– मोहसिन खान निवासी ऊसरी पोस्ट झालू, थाना कोतवाली देहात बिजनौर हाल पता जैतपुर एफ–683 गली नं0 4 खड्डा कालोनी व फ्लैट नं0 103 दा अरनिया सोसायटी सेक्टर 119 नोएडा

2– अनुराग चटकारा उर्फ अनुराग अरोडा पुत्र कृष्ण कुमार निवासी म0नं0 12 गली नम्बर 4, वेस्ट चन्दन नगर, दिल्ली– 51

3– अमन शर्मा पुत्र रघुनाथ शर्मा निवासी म0नं0 66 गली नं0 3 राज कम्पाउण्ड लाल कुॅआ, गाजियाबाद।

4– दानिश छिब्बर पुत्र सुरेन्द्र कुमार छिब्बर निवासी बी–703 अपेक्स ओरा अपार्टमेन्ट सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा मूल निवासी एफ–59 सेक्टर 20 नोएडा

5– वसीम अहमद पुत्र शरीफ हुसैन निवासी सी–2, 203 प्रथम तल न्यू अशोक नगर दिल्ली मूल निवासी ग्राम तखटपुत्र अल्ला उर्फ नानकारा, थाना मैनाठैर, मुरादाबाद।

6– जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र राम प्यारे निवासी ग्राम बढावर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ हाल पता– एफ– 64 खटटर कालोनी जैतपुर, दिल्ली ।

7– रवि कान्त मिश्रा पुत्र चतुर्भुज मिश्रा निवासी रामनोली थाना छिबरामउ, कन्नौज

8– तनुज शर्मा पुत्र स्व0 अशोक शर्मा निवासी एन–54, डेल्टा–3, ग्रेटर नोएडा मूल निवासी ग्राम पथेना थाना मूसावर, जिला भरतपुर, राजस्थान ।

<u>बरामदगी :</u>

1– 518 अदद चैकबुक (विभिन्न बैंकों की)

2– 327 ए0टी0एम0 कार्ड

3– 278 पैन कार्ड

4– 361 अदद एक्टिवेटिव सिम कार्ड

5– 187 मोबाइल

6– 01 हुण्डई ओरा कार नम्बर यूपी–16–डीडी–4351 (रंग सफेद)

7– 01 हुण्डई आई–10 NIOS कार नं0 यूपी–16–सीएक्स–0948

8– 01 KIA SELTOS कार नं0 यूपी–16–डीडी–4074

9– 01 मोटर साइकिल इन्फील्ड– 350 नम्बर – यूपी–16–डीके–5425

10– 01 इन्फील्ड हंटर मोटर साईकिल

11– 03 अदद लैपटॉप

12– 01 अदद हार्डडिस्क

13– 93 आधार कार्ड

14– 23 आई0डी0 कार्ड

15– 01 अदद नोट गिनने की मशीन

16– 01 अदद आई0कार्ड बनाने की मशीन ।

17– 103 फर्जी कागजो की छायाप्रति

18– 30 अदद विभिन्न कम्पनियों की मोहर

19– 15 ड्राईविंग लाइसेन्स

20– 1,09,100/– रूपये नकद

21– विभिन्न एकाउन्ट में लगभग 80 लाख रूपया फ्रीज

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/ समय/स्थान–</u>

दिनांकः 15–05–2023, समयः 16.15 बजे, स्थान– दा अरानिया सोसायटी सेक्टर–119 नोएडा ।

उल्लेखनीय है कि फर्जी कम्पनियॉ बनाकर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बैंकों से लोन प्राप्त करके गायब हो जाने वाले गिरोह के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र की जॉच एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट द्वारा की जा रही थी। जिसके अनुक्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एस0टी0एफ0 नोएडा द्वारा जॉच की जा रही थी। जॉच से प्राप्त संसूचनाओ के आधार पर ज्ञात हुआ कि इसी मामले में थाना फेस–1 नोएडा पर मु0अ0सं0 246/2023 धारा 420/406/467/468/471 एवं 120 बी0 भादवि का अभियोग भी पंजीकृत है। इसी क्रम में एस0टी0एफ0 यूनिट नोएडा के निरीक्षक श्री सचिन कुमार द्वारा उक्त अभियोग के विवेचनाधिकारी को साथ लेकर इस संगठित गैंग के उपरोक्त अभियुक्तों को दिनांक 15–05–2023 को विभिन्न स्थानों से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तथा पूछताछ के उपरान्त उपरोक्त स्थल से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्त मोहसिन खान निवासी उमरी पोस्ट झालू, थाना कोतवाली देहात, बिजनौर हाल पता जैतपुर एफ–683 गली नं0 4 खड्डा कालोनी व फ्लैट नं0 103 दा अरनिया सोसायटी सेक्टर 119 नोएडा ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 साल है और वह कक्षा 9वीं फेल है। बताया कि वर्ष–2007–2008 में फरीदाबाद हरियाणा में निकिल पालिश का काम करता था तथा उसका पड़ोसी नन्दू, जिसका बाद में देहान्त हो गया था, के पास वर्ष 2009 से एक दूसरे का आना जाना हो गया था। बताया कि नन्दू बैंक के फर्जी क्रेडिट कार्ड बनाकर बैंकों के साथ ठगी करने का धंधा करता था और उसी से उसने भी कूटरचित डी0एल0, पैन कार्ड, फर्जी कम्पनी बनाना आदि का काम सीखा था तथा वर्ष–2012 से ही उसने (मोहसिन खान) कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कम्पनियॉ बनाना प्रारम्भ कर दिया था और जो कम्पनी आर0ओ0सी0 में रजिस्टर्ड होती थी, ऐसी फर्जी कम्पनियों में बडी संख्या में पे–रोल पर फर्जी कर्मचारी रखकर कम्पनी एवं कर्मचारी के बैंक एकाउन्ट, जिनकी संख्या सैकडों मे होती थी, के विभिन्न बैंक में खाते खोलते थे, उसके बाद कम्पनी के एकाउन्ट में पैसा डालकर इन फर्जी कर्मचारियों के एकाउन्ट में सैलरी के पैसे भेजे जाते थे जिस पैसे को बाद में ए0टी0एम0 से कैश विड्रॉल करके पुनः ऐसी फर्जी कम्पनियों में पैसा डाल देते थे। इस प्रकार से जब कम्पनी और कम्पनी का सिविल स्कोर ठीक हो जाता था तो यह फर्जी कर्मचारी विभिन्न बैंको में विभिन्न प्रकार के लोन (कार लोन, होम लोन इत्यादि) ले लेते थे और 2–3 ई0एम0आई0 पेय करके कम्पनी व उसके कर्मचारी गायब हो जाते थे।

अमन शर्मा हाल निवासी म0नं0 66 गली नं0 03 राज कंपाउण्ड गाजियाबाद ने बताया कि उसकी उम्र लगभग 29 साल है बताया कि उसने एम0बी0ए0 किया हुआ है और वर्ष 2016 से लेकर अब तक विभिन्न बैंकों में एकाउन्ट खोलने से सम्बन्धित सैल्स डिपॉटमेंन्ट में काम करता था। उसकी मुलाकात वर्ष–2019 में मोहसिन, उपरोक्त से उस समय हुई थी जब मोहसिन ए0वी0 बैंक में खाता खोलने के लिए प्रयासरत था।

अभियुक्त तनुज शर्मा ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 30 साल है और वह कक्षा 10 पास है। बताया कि लगभग 04 साल आई0सी0आई0सी0आई0बैंक के एक थर्ड पार्टी वैन्डर, जिसका लोन रिक्वरी से सम्बन्धित काम होता था, में काम कर चुका था और उसी दौरान उसकी मुलाकात मोहसिन से और फिर गैंग के अन्य सदस्यों से हुई थी।

अभियुक्त वसीम अहमद ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 20 साल है और वह बी0कॉम पास है। बताया कि वह वर्ष–2014 से 2017 तक एक्सिस बैंक सेक्टर 51 नोएडा व स्टेण्डर्ड चार्टेड आई0टी0ओ0 दिल्ली में सेल्स में एकाउन्ट ओपनिंग करने का काम कर चुका है, यही से उसकी मुलाकात अमन शर्मा से हुई थी। एक्सिस बैंक में इन फर्जी कम्पनियों के खाते खुलवाने में वसीम अहमद की अह्म भूमिका रहती थी।

अभियुक्त अनुराग चटकारा उर्फ अनुराग अरोडा ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 31 साल है और वह 10वीं पास है। बताया कि मुख्य रूप से मोबाइल सेक्टर में विभिन्न कम्पनियों जैसे मोबाइल स्टोर, मयूर विहार फेस–2 दिल्ली, सोनी मोबाइल, साउथ एक्सटेन्शन दिल्ली, मैन पॉवर, सैमसंग आदि में सेल्स प्रमोशन में काम किया है, इसके अतिरिक्त आईडिया कम्पनी में सेल्स प्रमोशन के पद पर भी 02 साल तक काम कर चुका है। मोबाइल खरीदने के लिए कई बार मोहसिन, उपरोक्त आता था जहॉ से उसकी मोहसिन से जान पहचान हुई थी ।

अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 30 साल है और वह दसवी फेल है। बताया कि जैतपुर दिल्ली में वैल्डिंग का काम करता था वही पडौस में मोहसिन रहता था और वही से

उसकी मोहसिन से जान पहचान हो गई थी, उसका मुख्य काम ए0टी0एम0 से पैसा निकाल कर मोहसिन व तनुज शर्मा को देना होता था ।

अभियुक्त रविकान्त मिश्रा ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 45 साल है और वह बी0ए0 पास है। बताया कि बिहार निवासी विकास के माध्यम से तनुज शर्मा से मिला था और इन तीनों ने मिलकर बेंको से फर्जी फाइनेन्स का काम करने लगे थे बाद में विकास के जेल जाने के उपरान्त तनुज शर्मा के माध्यम से मोहसिन के गैंग के साथ मिलकर अपराध करने लगे। मुख्य रूप से जो आर0ओ0सी0 में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कम्पनियॉ बनाई जाती थी उसमें फर्जी नामों से वह डायरेक्टर बनता था, जैसे जी0एच0सी0एल0, टैक्नोलोजी इण्डिया लि0 में संजय कुमार के नाम से तथा Abra attire Pvt Ltd में अभिजीत पाटित के नाम से डायरेक्टर रहा है।

अभियुक्तों से की गई संयुक्त पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि बैकों के साथ धोखाधडी करने का इनका एक संगठित गिरोह है जिसमें इनका काम आपस में बंटा रहता है। विशेषतया मोहसिन, तनुज शर्मा तथा कपूर दहिया का काम कूटरचित दस्तावेजों के आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बनवाकर फर्जी कम्पनियॉ बनवाने तथा इसके बाद बैंक के लोगों से लाइजन बनाकर इन्हीं फर्जी कम्पनियों के पे रोल पर रखे गये फर्जी कर्मचारी के खाते खुलवाने का होता था। अभियुक्त अमन शर्मा व वसीम, जो पूर्व में कई बैकों में काम कर चुके हैं, भी खाता खुलवाने के काम में मदद करते थे। अभियुक्त दानिश छिब्बर व रविकान्त, गरीब व्यक्तियों को बहला फुसलाकर उनका बॉयोमेट्रिक प्रयोग करके कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बनाकर फर्जी कम्पनियॉ बनाते थे। अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू का काम बैकों के ए0टी0एम0 से पैसा निकालने का होता था। अभियुक्त अनुराग फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड का प्रयोग करके एक्टिवेटिव सिम मार्केट से लाने में मदद करता तथा मोबाइल फोन भी भारी मात्रा में खरीदता था। मुख्य रूप से गरीब लोगों को पैसा देकर आधार सेन्टर पर लाकर आधार कार्ड में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जारी कराये गये सिम व मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड करवाकर उनका पता भी बदलवा देते थे कई बैकों में आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भेजे गये ओ0टी0पी0 नम्बर से ही खाता खुल जाता था परन्तु कुछ बैकों में बॉयोमेट्रिक वैरिफाई होता है इसके लिए इस गैंग ने व्यक्ति के हाथ की 08 ऊंगलियों के जगह पैर की ऊंगलियॉ लेते हैं तथा बॉये पैर का अंगूठा तथा दाहिने हाथ का अंगूठा वैरिफाई कर देते हैं तथा ऑखों पर लेन्स लगाकर रेटिना को भी वैरिफाई कर देते हैं ऐसे लोगों का दाहिने हाथ के अंगूठे से ही आधार वैरिफाई हो जाता है और रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर के आधार पर खाता खुल जाता है। पूछताछ से इस संगठित गिरोह के द्वारा अब तक 13 फर्जी कम्पनियॉ जो कूटरचित दस्तावेजों पर रजिस्टर्ड की गयी हैं व विभिन्न बैंको के बैंक एकाउन्ट खुलवाने का काम किया है। जिनके नाम निम्न है–

1– GHCL TECHNOLOGY INDIA LTD
2- SENSNOVA SISTEM, PVT LTD
3- ABRA ATTIRE PVT LTD
4- AUGMAN TECHONOGY SERVICES
5- SELECTRONIOC EQUPMENTS PVT LTD
6- ESELON TECHNOLOGY INDIA LTD
7- BYTESCOMODITY PVT LTD
8- DEVDOC SYSTEM PVT LTD
9- MIRACLE FOR MULATIONS INDIA PVT LTD
10- RASHI CONSTRUCTION PVT LTD

11- CHIPLEY INFO PVT LTD
12- BALA JI TRADING PVT LTD

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त फर्जी कम्पनियॉ में इस धोखाधडी से बैकों से प्राप्त किये गये 80 लाख रूपया को फ्रीज कराया गया है। इस गैंग ने विभिन्न बैकों से लगभग 23 करोड़ रूपयो की ठगी की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त दानिश छिब्बर, उक्त के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क0 सं0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद
01	170/15	409/420/467/468/471/ 472/120बी/411/34 भादवि एवं 66 आई0टी0 एक्ट	नालेज पार्क	गौतमबुद्धनगर।
02	246/23	420/406/467/468/471 एवं 120 बी0 भादवि	फेस–1	गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त मोहसिन खान, उक्त के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क0 सं0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद
01	170/15	409/420/467/468/471/472/ 120बी/411/34 भादवि एवं 66 आई0टी0 एक्ट	नालेज पार्क	गौतमबुद्धनगर।
02	246/23	420/406/467/468/471 एवं 120 बी0 भादवि	फेस–1	गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को थाना फेस–1 नोएडा के उपरोक्त अभियोग में दाखिल किया गया है, तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––––––